

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-03122020-223443
SG-DL-E-03122020-223443

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]	दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 2020/अग्रहायण 10, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 211
No. 261]	DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 2020/AGRAHAYANA 10, 1942	[N. C. T. D. No. 211

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2020

सं.फा.10(118)/ए एस/एसटीए/परिवहन/2013/72939.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, के उपराज्यपाल, दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 89 की उपधारा (2), धारा 2 के खण्ड (41) के साथ पठित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहर्ष तत्काल प्रभाव से राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण सम्पूर्ण राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए गठन करते हैं जिसमें श्री दिलबाग सिंह पूनिया, सेवानिवृत्त अधिकारी, उच्च न्यायिक सेवाएँ तथा अधिसूचना संख्या एफ 4(354) जीओसी/ईडीएन/2014/8201-8212 दिनांक 21-06-2019 के द्वारा पीठासीन अधिकारी, दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

शशि कौशल, सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण

TRANSPORT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 1st December, 2020

No. F. 10(118)/AS/STA/Tpt./2013/ 72939.—In exercise of power conferred by Sub Section (2) of Section 89 read with clause (41) of Section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988, (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to constitute a State Transport Appellate Tribunal for the National Capital Territory of Delhi, consisting of Shri Dilbag Singh Punia, a retired officer of Higher Judicial Services, Presiding Officer, Delhi School Tribunal, vide Notification No.F.4(354)GOC/EDN/ 2014/ 8201-8212 dated 21-06-2019, Government of National Capital Territory of Delhi, with immediate effect.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

SHASHI KAUSHAL, Secy., State Transport Authority